इजराय सं०–204/2023
गोल्डन एम०पी० चिट फण्ड बनाम गजेन्द्र शर्मा

दिनांक 14.03.2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रार्थनापत्र के साथ पेश हुई।

पुकार पर प्रार्थी/डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं०– 20ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि इजराय उपरोक्त आज दिनांक 14.03.2026 पैरवी हेतु नियत है किंतु इजराय उपरोक्त मा० न्यायालय में दिनांक 25.07.2023 को प्रस्तुत की गई थी तथा डिक्रीदार/वादी निरंतर मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पैरवी भी करता आ रहा है किंतु प्रतिवादीगण उपरोक्त पतों पर निवास नहीं कर रहे हैं, जिस कारण प्रतिवादीगण पर तामील नहीं हो पा रही है। अतः याचना की गई कि इजराय वाद को वापस किये जाने के आदेश पारित किये जायें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत इजराय वाद प्रश्नगत डिक्री को निष्पादित किये जाने हेतु योजित किया गया है। इसी स्तर पर प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके मामले को आगे न चलाने का कथन किया गया है। डिक्रीदार को निष्पादन वाद चलाने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में इजराय वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं० 20ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 20 ग स्वीकार करते हुए प्रस्तुत इजराय वाद वापस लिये जाने के कारण निस्तारित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2,
गाजियाबाद।